


2142-5



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




EG 541358



Consortium MoU




THIS CONSORTIUM MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (hereinafter referred to as the 'MoU') is made and entered into this 9<sup>th</sup> day of the month of October, 2018 by and among:

1. **Aradhya Builders Partnership Firm** registered under the Partnership Act 1932 through Partner **Ritesh Jain** having their principal place of business at "C/o Mange Ram Bhatta Company, Khasra No. 988 & 989, NH 58, Meerut Road, Opposite Jain Tube Company, Tehsil & District Ghaziabad (Uttar Pradesh) which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the ONE PART;
2. **Vijay Kumar S/o Mange Ram R/o R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002** owner of various Khasra Nos which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the SECOND PART;







- 9 OCT 2018

क्र. सं. 18  
 स्टाम्प क्रेय करने का प्रयोजन  
 स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता  
 स्टाम्प की धनराशि 100/-  
 पंकज शर्मा स्टाम्प विक्रेता, लाईसेन्स नं० 355  
 लाईसेन्स की अवधि 31-3-2019  
 नहरसाल कम्पाउण्ड गाजियाबाद

आयुधयन बिल्डिंग, मेरठ रोड गाकाहा इप रिजर्व  
 जैन




अनुबंध विलेख/घोषणा पत्र

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग 200

श्री आशुधरम बिल्डिंग द्वारा  
 प्रो. जैन अर्थात्कृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि  
 पं. श्री न. के. जैन  
 आवासीय अन्वय  
 को. नं० 1, फ्लोर अॉच मांगे राम भट्टा कंपनी खसरा नम्बर-988 व 989, एन एच-58,  
 पोस्ट 213, गाजियाबाद

*Signature*



श्री आशुधरम बिल्डिंग द्वारा

रिजेश जैन अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री आशुधरम इस कार्यालय में दिनांक 10/10/2018

को. नं० 1, फ्लोर अॉच मांगे राम भट्टा

आवासीय हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शर्मा न. के. कुमार एसओ

उप निबंधक सदर द्वितीय

गाजियाबाद

10-10-2018

विनीत कुमार निधिब


कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

3. **Sudhan Kumar** S/o Mange Ram R-9/202 Sector-9 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 Owner of various Khasras Nos which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the THIRD PART;
4. **Vijay Kumar** S/o Mange Ram R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh – 201002 holder of Power of attorney of Ramnaresh Rawat which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the Fourth PART;
5. **Vijay Kumar** S/o Mange Ram R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh – 201002 holder of Power of attorney of Pushpendra Rawat which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the Fifth PART;
6. **Sudhan Kumar** S/o Mange Ram R-9/202 Sector-9 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 Trustee of The Trinity Education Trust which expression shall unless repugnant to the context thereof include his Successors, of the SIXTH PART;

All the above parties for the purpose of this MoU hereinafter individually called the 'Member' and collectively called the 'Members.'

NOW, THEREFORE, this MoU witnesses as follows:-

In consideration of the mutual covenants of the Members, the sufficiency whereof are hereby acknowledged and other good valuable considerations, the Members have agreed as follows:





निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने भजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

प्रथम पक्ष: 1

श्री अराध्यम बिल्डिंस के द्वारा रितेश जैन, पुत्र श्री राजेन्द्र  
जैन

निवासी: केयर ऑफ मांगे राम भट्टा कम्पनी खसरा नम्बर  
988 व 989, एन एच 58, मेरठ रोड, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

*Sitara*



प्रथम पक्ष: 2

श्री विजय कुमार, पुत्र श्री मांगे राम

निवासी: आर-2/177, राजनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

*Vijay Kumar*




प्रथम पक्ष: 3

श्री सुधन कुमार, पुत्र श्री मांगे राम

निवासी: आर-9/202, सेक्टर-9, राजनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

*Sudhan Kumar*



प्रथम पक्ष: 4

श्री राम नरेश रावत के द्वारा विजय कुमार, पुत्र श्री मांगे राम

निवासी: आर-2/177 राजनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

*Vijay Kumar*



प्रथम पक्ष: 5

श्री पुष्पेन्द्र रावत के द्वारा विजय कुमार, पुत्र श्री मांगे राम

निवासी: आर-2/177, राजनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

*Vijay Kumar*



## 1. Definitions and interpretations

1.1 Definitions Capitalized terms used in this MoU shall have their respective defined meanings, and/or shall have the meanings specified in the Policy issued vide G.O. No 10/2017/2130/8-1-17-36 vivid/2017 dated 25/10/2017 and subsequently executed Development Agreement between the Applicant and the Authority unless the context expressly or by necessary implication otherwise requires.

(a) 'Applicant' means the Consortium Applicant;

(b) 'Authority' means the Uttar Pradesh Housing and Development Board or the Development Authority or the Special Area Development Authority or the Controlling Authority or any other authority designated by the Government of Uttar Pradesh, as the case may be;

(c) 'Company' means a company formed and registered under the Companies Act, 1956/2013;

(d) 'Consortium' means the Consortium formed between the Members in accordance with this MoU;

(e) "Government Agency" means Development Authority constituted under Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 or Uttar Pradesh Housing & Development Board constituted under Uttar Pradesh Housing and Development Board Act, 1965 or Controlling Authority constituted under Uttar Pradesh (Regulation Of Building Operations) Act, 1958 or Special Area Development Authority constituted under Uttar Pradesh Special Area Development Authorities Act, 1986.

*[Handwritten signatures in blue ink]*




प्रथम पक्ष: 6

श्री टिरिन्टी एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा सुधन कुमार, पुत्र श्री  
मांगेराम

निवासी: आर-9/202, सैक्टर-9, राजनगर, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

*Sudh*



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1


श्री दीपक कुमार, पुत्र श्री ब्रहमपाल

निवासी: तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

*Deepak*



श्री सुनील कुमार, पुत्र श्री ब्रहम सिंह

निवासी: ग्राम दुहाई जिला गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

*Sunil*



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार  
लिए गए हैं।

टिप्पणी :

शर्मा नविनकुमार एस०  
उप निबंधक - सदर द्वितीय  
गाजियाबाद


विश्वेश कुमार लिपिक  
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) -  
नियमित

- (f) 'Lead Member' means the member of the Consortium who holds minimum 26% equity in the Consortium.
- (g) 'Members' means the individuals, Company or firms which have agreed to form a Consortium in connection with the Project;
- (h) 'MoU' (Memorandum of Understanding) means a legal document describing the terms and details of an agreement between two or more parties, including each party's role and responsibilities.
- (i) 'Net worth' means as defined under section-2 of (29-A) of the Companies Act, 1956/2013;
- (j) 'Private Developer' means an individual, legal person, consortium, registered trust, registered society, cooperative housing society, company or association, body of individuals whether incorporated or not, owning or assembling or agreeing to own or assemble, whether by purchase or otherwise, land for development.
- (k) 'Scheme' means the proposed housing scheme.

### 1.2 Interpretation

(a) For the purpose of this MoU, where the context so requires, the singular shall be deemed to include the plural and vice-versa and masculine gender shall be deemed to include the feminine gender and vice-versa.

(b) References to a 'person' if any shall, where the context so admits, include references to natural persons, partnership firms, companies, bodies corporate and associations, whether incorporated or not or any other organization or entity including any governmental or political subdivision, ministry, department or agency thereof.





(c) The headings and sub-headings are inserted for convenience only and shall not affect the construction and interpretation of this MoU.

(d) References to the word 'include' and 'including' shall be construed without limitation.


(e) Any reference to 'day' shall mean a reference to a calendar day.

**2. Purpose of Consortium MoU**

2.1 The purpose of this MoU is to specify the responsibilities of the Members towards the execution of the Scheme including land assembly, preparation of Detailed Project Report, securing of clearances, execution of development and construction works, maintenance of services and management and disposal of properties and to set out further rights and obligations of the Members supplementing but not conflicting with those present in this MoU.

**3. Duration**

3.1 This MoU shall come into force and effect on as of the date of signing of this MoU by the Members. Unless otherwise terminated earlier, this MoU shall remain effective until the complete discharge of all obligations by the Members concerning the completion of the Scheme.

Three handwritten signatures in blue ink are present. The first is a cursive signature on the left, the second is a more stylized signature in the middle, and the third is a signature on the right.



**4. Coordinator**

- 4.1 The Members hereby understand and agree that there shall be a 'Lead Member' who shall be the point of contact for the purpose of the Scheme. It is hereby agreed by the Members that for the purpose of the MoU Aradhyam Builders has been appointed as Lead Member. The Lead Member shall be specifically authorized by the Members to make representations and declarations on their behalf. However, every Member of the Consortium shall be individually responsible for discharging his obligation as specified in Schedule-1 and jointly and severally liable for the successful completion of the entire Scheme.
- 4.2 For the purpose of this MoU, the Lead Member shall be the single point of contact for the Authority and shall have the overall responsibility of the management of the Scheme and shall have single point responsibility for ensuring that all Members of the Consortium are complying with the terms and conditions set out in this MoU.
- 4.3 All instructions/communications from the Authority to the Lead Member shall be deemed to have been duly provided to all the Members of the Consortium.
- 4.4 For the avoidance of doubt it is hereby clarified that the all Members of the Consortium shall be held individually responsible for the obligations mentioned in Schedule-1 regarding their specific roles and responsibilities undertaken by them under this MoU.

Handwritten signatures in blue ink, including a signature on the left, a signature in the middle with a line pointing to the right, and a signature on the right.




## 5. Rights and obligations

- 5.1 For delivery of all Services as per provisions of the Development Agreement to be executed subsequently between the Applicant and the Authority; the Lead Member shall be primarily accountable and responsible.
- 5.2 The Lead Member shall be responsible for the transmission of any documents and information connected with the Scheme to the Members concerned.
- 5.3 The representations and declarations made by the Lead Member shall be legally binding on all the Members of this MoU.
- 5.4 Each Member shall use reasonable efforts to perform and fulfil, promptly, actively and on time, all of its obligations under this MoU.
- 5.5 For the purpose of this MOU Aradhyam Builders, the lead member shall have the 50% of equity in the consortium.

## 6. Responsibilities towards each other

### 6.1 (a) Each Member undertake:

- (i) To promptly notify each of the Members about any significant delay in fulfilment of milestones in relation to the Scheme; and
  - (ii) To inform other Members of relevant communications it receives from third parties in relation to the Scheme.
- (b) Each Member shall act in good faith and use reasonable efforts to ensure time bound compliance of their obligations under this MoU and promptly act to correct any error therein as soon as it came into the knowledge.





(c) Each Member shall keep confidential all information of confidential nature, whether written or oral, concerning to this MoU and also abide by the terms and condition of the Development Agreement to be executed subsequently between the Applicant and the Authority.

(d) Each Member shall share with and disclose information to other Members including confidential information and documents as may be necessary for the Scheme. The Members hereby understand and agree that the information shall be used solely for the purpose of the Scheme and not for its own use or for any third party benefit.

**7. Liabilities**

7.1 Liability towards each other: The Members hereby understand and agree that each Member shall be individually liable for any default with regard to the deliverables of his part under the terms and conditions of this MoU.

7.2 Indemnification of a Member for each other: Each Member shall indemnify each of the other Members, in respect of liability resulting from acts or omissions of itself.

7.3 Liability towards Third Parties: Subject always to such other undertakings and warranties as are provided for in this MoU, each Member shall be solely liable for any loss, damage or injury to third parties resulting from its carrying out its parts of the Scheme and from its use of knowledge and/or knowhow.

**8. Representation and warranties**

8.1 The Members hereby represent and warrant that:

(a) They are duly organized and validly existing under the prevailing laws of India and have full Power and authority to enter into this MoU and to perform their obligations under this MoU.

(b) This MoU constitutes a valid and binding obligation of the Members, enforceable against them in accordance with the terms hereof, and the execution, delivery and performance of this MoU and all instruments or agreements required hereunder do not contravene, violate or constitute a default of or require any consent or notice under





any provision of any agreement or other instrument to which the Member is a party and by which the Members are or may be bound.

(c) Each of the representations and warranties shall be construed as a separate representation, warranty, covenant or undertaking, as the case may be, and shall not be limited by the terms of any other representation or warranty or by any other term of this MoU.

(d) The Members have read, understood and agreed with the terms and conditions of this MoU.

**9. Notices**

9.1 Notices, demands or other communication required or permitted to be given or made under this MoU shall be in writing in Hindi or English language. Delivery can be made by hand or facsimile message against a written confirmation of receipt or by registered letter or by courier subsequently confirmed by letter.

9.2 Any such notice, demand or communication shall, unless the contrary is proved, be deemed to have been duly served at the time of delivery in the case of service by delivery in person or by registered post or courier at the given address.


**10. Arbitration**

10.1 Any and all disputes or differences between the Members arising out of or in connection with this MoU or its performance shall, so far as it is possible, be settled amicably through consultation between the Members.

10.2 Any dispute arising in connection with this MoU which cannot be resolved by the Members in accordance with the terms of this MoU shall be settled by arbitration in accordance with Arbitration and Conciliation Act, 1996. The Members agree to comply with the awards resulting from arbitration. The place of arbitration shall be Ghaziabad.

**11. Force Majeure**

None of the members shall be held in default in the performance of the obligation, under this MoU, in the events of force majeure which without any limitation include war, civil commotion, riots, Act of God,





Government Action. In the event of force majeure, the members of the Consortium MoU undertake to consult each other.

**12. Termination of Consortium**

MoU This Consortium MoU may be terminated upon the arrival of the first of following events:-

- 12.1 Upon exit from the Scheme subject to terms and conditions of the scheme.
- 12.2 Upon completion of the Scheme.

**13. Miscellaneous**

- 13.1 This MoU supersedes all prior discussions and agreements (whether oral or written, including all correspondence) if any, between the Members with respect to the subject matter of this MoU. In the event of any conflict between the terms of this MoU and the Development Agreement to be executed subsequently between the Applicant and the Authority, the terms of Development Agreement shall prevail.
- 13.2 Any provision of this MoU, which is invalid or unenforceable, shall be ineffective to the extent of such invalidity or unenforceability, without affecting in any way the remaining provisions hereof.
- 13.3 This MoU shall be governed and interpreted by, and construed in accordance with the laws of India, without giving effect to the principles of conflict of laws there under.
- 13.4 The Schedule-1 shall have the same force and effect as if expressly set in the body of this MoU and any reference to this MoU shall include the Schedule-1.

Handwritten signatures in blue ink, including a long horizontal line, a signature that appears to be 'Srijanika', and another signature that appears to be 'Sudha'.





13.5 Any Member including the Lead Member of the Consortium may be changed with the prior approval of Government Agency subject to fulfilment of minimum financial and technical capability of the Consortium.


13.6 In case of any change in the members of the Consortium, an amended Consortium MoU shall be submitted by the Lead Member to Government Agency.



13.7 Any variation or modification to the terms of this MoU as may be mutually agreed by the members can only be made with prior approval of Government Agency.

IN WITNESS WHEREOF, the Members have entered into this MoU on the day, month and year first mentioned above.

1. Signature.....  
For Aradhyam Builders  
Ritesh Jain  
Partner

2. Vijay Kumar  
Signature.....

3. Sudhan Kumar   
Signature.....

4. Vijay Kumar holder of Power of attorney of Ramanaresh Rawat  
Signature..... 



5

5. Vijay Kumar holder of Power of attorney of Pushpendra Rawat

Signature.....*[Handwritten Signature]*.....

6. Sudhan Kumar Trustee of Trinity Education Trust

Signature.....*[Handwritten Signature]*.....

For and on behalf of Lead Member:

Name: Ritesh Jain.....*[Handwritten Signature]*.....

Designation: Partner

Aradhyam Builders

Date:09/10/2018

WITNESSES: 1. Signature.....

Name.....*Mr. Deepak Kumar Sr. Brahm Pal*.....

Address.....*Talsih Compound - G. Bad.*.....

2. Signature.....

Name.....*Sunil Kumar Sr. Brahm Singh.*.....

Address.....*Vill - Duhai - G. Bad.*.....

Drafted by :





### SCHEDULE - 1

Roles and Responsibilities of Each Individual Member of the Consortium  
(Describe the Roles and Responsibilities of each individual Member of the Consortium)

Sl.No.	Type of Member	Average Annual Net worth (Rs. Crore)	Roles and Responsibilities
1	2	3	4
1.	Lead Member Name: Aradhyam Builders Address: "C/oMange Ram Bhatta Company, Khasra No.988& 989, NH 58, Meerut Road, Opposite Jain Tube Company, Tehsil & District Ghaziabad (Uttar Pradesh). Phone No: 9999537800		Overall responsibility including planning, obtaining all clearances, approvals, selling, collecting all sales proceeds, construction & overall administration of project. For the purpose of this MOU Aradhyam Builders the lead member shall have the 50% of equity in the consortium.
2.	Member-1 Vijay Kumar R/O R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 Phone No: 9711410000	8.06	Technical and financial consultancy
3.	Member-2 Sudhan Kumar Address: Phone No: 9818488999		Monitoring of Group Housing
4.	Member-3.		Monitoring of Group











	Vijay Kumar holder of Power of attorney of Ramnaresh Rawat Address :R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002 Phone No 9711410000		Housing
5.	Member-4. Vijay Kumar holder of Power of attorney of Chaudhary Mange Ram Address:R-2/177 Raj Nagar Ghaziabad Uttar Pradesh - 201002. Phone No: 9711410000		Monitoring of Group Housing
6	Member-5. Sudhan Kumar Trustee of Trinity Education Trust Address:	8.06	Monitoring of Group Housing

*S. Kumar*      *Vijay Kumar*      *Sudhan*



Signature..... 

For Aradhyam Builders  
Ritesh Jain  
Partner

1. Vijay Kumar  
Signature..... 
2. Sudhan Kumar  
Signature..... 
3. Vijay Kumar holder of Power of attorney of Ramanresh Rawat  
Signature..... 
4. Vijay Kumar holder of Power of attorney of ~~Ramanresh Rawat~~  
Signature..... 
5. Sudhan Kumar Trustee of Trinity Education Trust  
Signature..... 

Date 09/10/2018

10  
अही साख्य 4 जिल्द संख्या 594 के पृष्ठ 393 से 432 तक क्रमांक  
पर दिनांक 10/10/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शर्मा

शर्मा लविकुमार एस०

उप निबंधक : सदर द्वितीय

गाजियाबाद

10/10/2018



(2)



उपहार पत्र/दान पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य) :-आवासीय
2. वी-कोड/परगना- लौनी
3. मौहल्ला/ग्राम ग्राम पसौन्डा गाजियाबाद।
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं.) :-खाली भूमि सम्बन्धित खाता नम्बर-02380, खसरा नम्बर-332, 337 व 338,
5. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्ग मीटर) :- वर्गमीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल :- 825 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) :- रोड़ 12 मीटर चौड़ी (एक रास्ता)
8. अन्य विवरण (9 मीटर/कार्नर इत्यादि) :- नहीं
9. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में) :-नहीं
10. स्थिति-फिनिशड/सेमीफिनिशड/अन्य :-नहीं
11. भूमि दर :- 17,000/-रुपयें प्रति वर्ग मीटर
12. निर्माण की श्रेणी व दर :- नहीं
13. निर्मित क्षेत्रफल :- नहीं
14. निर्माण का वर्ष :- नहीं
15. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है - हॉ/नहीं :- नहीं
16. पार्क फेसिंग :- नहीं
17. प्रतिफल की धनराशि-नहीं

सीमा उपरोक्त भूमि :-

पूरब-गरिमा गार्डन के मकान,

पश्चिम-रोड़ 12 मीटर चौड़ी ,

उत्तर-भूमि रामनरेश रावत व गरिमा गार्डन के मकान

दक्षिण-भूमि रामनरेश रावत।

प्रथम पक्ष की संख्या ( 1 )

उपहारकर्ता का विवरण

द्वितीय पक्ष की संख्या ( 1 )

उपहार प्राप्तकर्ता का विवरण

*Lawyer*

*M. J. Sharma*

आवेदन सं०: 202200739120241

दान पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6787

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 5000 बाजारी मूल्य - 14025000 पंजीकरण शुल्क - 140250 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 140330

श्री विजय कुमार,  
पुत्र श्री मांगे राम  
व्यवसाय : अन्य  
निवासी: आर-2/177 राजनगर गाजियाबाद

*(Handwritten signature)*




ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/08/2022 एवं 12:37:08 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

*(Handwritten signature)*  
सुश चन्द्र मोर्य  
उप निबंधक : सदर तृतीय  
गाजियाबाद  
16/08/2022

निबंधक लिपिक  
16/08/2022



प्रिंट करें



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6787

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त दान दाता: 1


श्री रामनरेश, पुत्र श्री मांगे राम

निवासी: आर-5/126-बी राजनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

दान गृहीता: 1

*Ramesh*




श्री विजय कुमार, पुत्र श्री मांगे राम

निवासी: आर-2/177 राजनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

*Vijay Kumar*



श्री शैलेन्द्र शर्मा, पुत्र श्री महेश चंद शर्मा

निवासी: मौहल्ला कोरियान हर्ष नगर बिल्लारी मुरादाबाद यू.पी.

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

*Shailendra Sharma*



श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, पुत्र श्री टी.एन. तिवारी

निवासी: जे-2 महेन्द्रा एन्कलेव शास्ती गिर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।  
टिप्पणी:

*Ramesh*



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

*Surajendra Mishra*  
सुरेश चन्द्र मिश्र  
उप निबंधक : सदर तृतीय  
गाजियाबाद  
16/08/2022

निबंधक लिपिक गाजियाबाद  
16/08/2022

प्रिंट करें

(4)

एवं श्री विजय कुमार पुत्र श्री मांगे राम निवासी आर-2/177, राजनगर, गाजियाबाद, द्वितीय पक्ष दानग्रहिता (PAN-AAZPK0075G)।

विदित हो कि भूमि सम्बन्धित खाता नम्बर-02380, खसरा नम्बर-332, क्षेत्रफल 0.1520 हैक्टेयर में 1/4 भाग यानि 0.038 हैक्टेयर यानि 380 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर-337, क्षेत्रफल 0.0890 हैक्टेयर में 1/4 भाग यानि 0.02225 हैक्टेयर यानि 222.5 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर-338, क्षेत्रफल 0.0890, हैक्टेयर में 1/4 भाग यानि 0.02225 हैक्टेयर यानि 222.5 वर्ग मीटर इस प्रकार कुल खसरा नम्बरान-3, कुल क्षेत्रफल 0.0825 हैक्टेयर यानि 825 वर्ग मीटर निम्नसीमा स्थित ग्राम पसौन्डा परगना लौनी तहसील व जिला गाजियाबाद का मैं प्रथम पक्ष उपहारकर्ता/दानदाता संक्रमणीय भूमिधर मालिक एवं काबिज हूँ और भूमि उपरोक्त की वाबत हर प्रकार की कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा मैं प्रथम पक्ष दानकर्ता उक्त खसरा नम्बरान में अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि दान/उपहार स्वरूप दे रहा हूँ उक्त भूमि आज दिन तक मुझ प्रथम पक्ष उपहारकर्ता की

— 11/04/2020

Harish

HARISH TIWARI  
Signature  
Q. No. 177A  
Gazipur



(5)

ओर से हर प्रकार के बन्धक भार व सरकारी, देनदारी आदि से सुरक्षित है कही अन्य जगह किसी उपहार, करार, विक्रय, जमानत, बैंक ऋण एवं बन्धन आदि से ग्रस्त नहीं है उपहार किये जाने वाली भूमि के विषय में कोई वाद विवाद किसी न्यायालय, किसी कार्यालय एवं किसी विभाग में लम्बित नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है। उपहार प्राप्तकर्ता मुझ प्रथम पक्ष उपहारकर्ता/दानदाता का सगा भाई है। उपहार प्राप्तकर्ता के प्रति स्नेह एवं सहानुभूति के फलस्वरूप मैं उपहारकर्ता अपनी उक्त आवासीय भूमि को उपहार प्राप्तकर्ता के पक्ष में उपहार कर देना चाहता हूँ। इस उपहार पत्र द्वारा उपरोक्त भूमि उपहार प्राप्तकर्ता को बिना किसी प्रतिफल/मुआवजे के उपहार की जा रही है। उक्त भूमि का यह उपहार श्री विजय कुमार को भी स्वीकार है और उन्होंने स्वीकृति स्वरूप इस उपहार पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये है तथा इस उपहार पत्र को निष्पादित किया है। उपहारकर्ता उपरोक्त भूमि को उपहार करने के पूर्ण रूप से अधिकारी हैं, कोई वैधानिक या अवैधानिक आपत्ति उपहार करने में नहीं है। अतः मुझ प्रथम पक्ष उपहारकर्ता ने अपनी खुशी व रजामन्दी व शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ

— 11/12/2018 —

Ram Kumar

HARIOM TIWARI

Q. No. 17-A  
Ghatkhod



(6)

इन्द्रियों की दशा में बिना किसी दबाव व धमकाव के प्रभावित होते हुये व पूर्णतया सोच समझकर तथा इस उपहार पत्र को पढ़कर अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि को आज की तारीख में बिना कोई धनराशि/प्रतिफल लिये हाथ द्वितीय पक्ष उपहार प्राप्तकर्ता उपरोक्त श्री विजय कुमार को उपहार कर दी है। जिसे द्वितीय पक्ष उपहार प्राप्तकर्ता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है और कब्जा मौके पर उपहार प्राप्तकर्ता का पूर्ण व वास्तविक रूप से करा दिया है अब द्वितीय पक्ष उपहार प्राप्तकर्ता उपरोक्त भूमि का पूर्णतः मालिक बन गया है तथा उसको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि पर निर्माण करें, विक्रय करें, किसी को आबाद करें, दान करें, किसी अन्य को रखे, कहीं बन्धक रखे, किसी को उपहार करें, यानि जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें कुछ आपत्ति नहीं होगी। उपहार की जाने वाली भूमि से सम्बन्धित आज तक के समस्त देयों को उपहारकर्ता ने अदा किया है, भविष्य के सभी देयों को उपहार प्राप्तकर्ता अदा करेंगे,। उपहार प्राप्तकर्ता उपरोक्त भूमि पर इस

— 11/12/2014 —

Kaucher.

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



राम नरेश रावत

Ram Naresh Rawat

जन्म तिथि / DOB: 02/02/1956

पुरुष / MALE



6499 8341 9912



पता:

आत्मज: मंगे राम रावत, आर-  
5/126-बी, राज नगर, गाज़ियाबाद,  
गाज़ियाबाद,  
उत्तर प्रदेश - 201002

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

Address:

S/O: Mange Ram Rawat, R-  
5/126-B, raj nagar,  
Ghaziabad, Ghaziabad, Uttar  
Pradesh - 201002



1947  
1800 300 1947



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

P.O. Box No. 1947,  
Bengaluru-560 001

*Handwritten signature*



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



नाम: कुन्डर  
Vijay Kumar  
जन्म तिथि/DOB: 07/07/1958  
लिंग / GENDER: MALE  
8737 0547 1326



भारत आशा, सही पहचान

*[Handwritten signature]*



भारतीय पहचान प्रणाली प्राधिकरण  
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:  
आशा, सही सत, सत,  
2/177, गत सत,  
शांतिनगर, शांतिनगर,  
सत सत - 201002

Address:  
S/O. Vinay Kumar, R-2, 177  
Gate, Ghazipur, Ghazipur,  
Uttar Pradesh, 201002



1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

P.O. Box No. 1947  
Bengaluru-560 001

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

शैलेन्द्र शर्मा  
Shailendra Sharma  
जन्म तिथि/DOB: 14/07/1988  
पुरुष / MALE

7658 5546 0058

आधार-आम आदमी का अधिकार

*Shailendra Sharma*

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
INDIAN UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY

पता: Address:  
आत्मज: महेश चन्द्र शर्मा, S/O Mahesh Chandr Sharma  
मोहल्ला कोरियान (हर्ष Mohalla Koriyan (harsh nagar),  
नगर), बिलारी, मुरादाबाद, Biliari, Muradabad,  
उत्तर प्रदेश - 202411 Uttar Pradesh - 202411

7658 5546 0058

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar



भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

पत्र संख्या  
IDENTITY CARD

EVX4989356



पंजीकृत का नाम : राजेन्द्र प्रसाद तिवारी  
Registered Name : Rajendra Prasad Tiwari  
पिता का नाम : ताड़क नाथ तिवारी  
Father's Name : Tadak Nath Tiwari  
लिंग / Sex : पुरुष Male  
1.2006 को आयु : 36  
Age as on 1.1.2006

*R. Prasad*

पत्र संख्या : EVX4989356

सं. : 2  
पदी/मोहल्ला : जन्ता कॉलोनी  
ग्राम/नगर : गाजियाबाद  
थाना : कविनगर  
जिला : गाजियाबाद  
Address  
H.No. : 2  
Str/Mohalla: Janta Colony  
Vill/Town : Ghaziabad  
PoliceStn. : Kavinagar  
Distt. : Ghaziabad  
Pin :

निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के  
हस्ताक्षर की अनुकृति  
निर्वाचन क्षेत्र 372-गाजियाबाद  
Facsimile Signature of  
Electoral Registration Officer  
for 372- Ghaziabad

स्थान : गाजियाबाद  
Place: Ghaziabad  
दिनांक : 13/01/2007  
Date

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान  
पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।


This card can be used as an Identity Card  
under different Government Programmes. 453/1355

SITE PLAN OF LAND ON KHASRA NO.- 332, 337, 338  
VILLAGE - PASONDA, PARGANA - LONI  
TEHSIL & DISTT.- GHAZIABAD ( U.P. )

AREA - 825.00 SQ.MT.



HOUSE - GARIMA GARDEN



*Ram...*

FIRST PARTY SIGN.

*Harsh...*

SECOND PARTY SIGN.

**HARSHI SINGH**  
ARCHITECT

(7)

उपहार पत्र/दान पत्र के आधार पर समस्त राजपत्रों में अपना का नाम स्वयं दर्ज करा ले तथा जहां कहीं भी मुझ प्रथम पक्ष उपहारकर्ता/दानदाता के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी मैं सहर्ष सम्बन्धित विभाग में उपस्थित रहूंगा। मुझ उपहारकर्ता ने उक्त भूमि के समस्त असल कागजात उपहार प्राप्तकर्ता को सौंप दिये हैं इस उपहार पत्र के साथ उपहार की जाने वाली सम्पत्ति का मानचित्र संलग्न है जिस पर उपहारकर्ता एवं उपहार प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं जो इस उपहार पत्र के भाग रहेंगे। अब इकरार यह कि उक्त भूमि की मिलकियत व उसके मूल्य धन तथा किसी अंग से मुझ उपहारकर्ता व वारसान उपहारकर्ता का कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा न कभी होगा। दोनों पक्षों की सहमति से उपहार पत्र का समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष ने वहन किया है।

11/10/2014

Ramesh



HARIOM TIWARI



HARIOM TIWARI

Advocate  
Q. No. 17-A  
Gharib





(8)

अतः यह दान पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

Ram

.....  
.....

गवाह :- श्री शैलेन्द्र शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द शर्मा निवासी मौहल्ला कोरियान, (हर्ष नगर), बिल्लारी, मुरादाबाद, उ.प्र.।

Shailendra  
Sharma

गवाह :- श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र श्री टी.एन. तिवारी निवासी जे-2, महेन्द्रा एन्कलेव, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।

Ram


**HARIOM TIWARI**

दिनांक :- 10 अगस्त 2022 बर्ड, मुरादाबाद, तिवारी, एडवोकेट,  
(Enrollment No.-UP06613/2019) चेन्नई, जे-17/ए, तहसील कम्पाउन्ड,  
गाजियाबाद।

आवेदन सं०: 202200739120241

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 17020 के पृष्ठ 147 से 170 तक क्रमांक  
6787 पर दिनांक 16/08/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


  
सुरेश चन्द्र मौर्य

उप निबंधक : सदर तृतीय  
गाजियाबाद  
16/08/2022





(2)



उपहार पत्र/दान पत्र का संक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य) :-आवासीय
2. वी-कोड/परगना- लौनी
3. मौहल्ला/ग्राम ग्राम पसौन्डा गाजियाबाद।
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं.) :-खाली भूमि सम्बन्धित खाता नम्बर-3261, खसरा नम्बर-332मि०, व खाता नम्बर-2380, खसरा नम्बर-332मि०, 337 व 338,
5. मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्ग मीटर) :- वर्गमीटर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल :- 1520 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) :- रोड़ 12 मीटर चौड़ी (एक रास्ता)
8. अन्य विवरण (9 मीटर/कार्नर इत्यादि) :- नहीं
9. सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति में) :-नहीं
10. स्थिति-फिनिशड/सेमीफिनिशड/अन्य :-नहीं
11. भूमि दर :- 17,000/-रूपयें प्रति वर्ग मीटर
12. निर्माण की श्रेणी व दर :- नहीं
13. निर्मित क्षेत्रफल :- नहीं
14. निर्माण का वर्ष :- नहीं
15. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है - हाँ/नहीं :- नहीं
16. पार्क फेसिंग :- नहीं
17. प्रतिफल की धनराशि-नहीं

सीमा उपरोक्त भूमि :-

पूरब-गरिमा गार्डन के मकान,  
पश्चिम-रोड़ 12 मीटर चौड़ी,  
उत्तर-भूमि रामनरेश रावत व गरिमा गार्डन के मकान,  
दक्षिण-भूमि रामनरेश रावत।

प्रथम पक्ष की संख्या ( 1 )  
उपहारकर्ता का विवरण

द्वितीय पक्ष की संख्या ( 1 )  
उपहार प्राप्तकर्ता का विवरण

आवेदन सं०: 202200739120136

दान पत्र


बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6789

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 5000 बाजारी मूल्य - 24956000 पंजीकरण शुल्क - 249560 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 249640

श्री विजय कुमार,  
पुत्र श्री मांगे राम  
व्यवसाय : अन्य  
निवासी: आर-2/177 राजनगर गाजियाबाद



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/08/2022 एवं 12:34:59 PM बजे  
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश चन्द्र शर्मा  
उप निबंधक : सदर तृतीय  
गाजियाबाद  
16/08/2022

निबंधक लिपिक  
16/08/2022



प्रिंट करें

(3)

:- उपहार पत्र/दान पत्र :-

(भाई द्वारा भाई के हक में)



आवासीय भूमि की कुल कीमत जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अंकन-2,49,56,000/-रूपये है।

जिस पर स्टाम्प ड्यूटी शासनादेश संख्या-8/2022/566/94-एस.आर.-2. 2022-700(29)/2021, दिनांक 18 जून 2022 के अनुसार अदा की गई है।

ई-स्टाम्प अंकन-5,000/-रूपये का।

विवरण सम्पत्ति :-

भूमि क्षेत्रफल 1520 वर्ग मीटर सम्बन्धित खाता नम्बर-3261, खसरा नम्बर-332मि., व खाता नम्बर-2380, खसरा नम्बर-332मि., 337 व 338, स्थित ग्राम पसौन्डा परगना लौनी तहसील व जिला गाजियाबाद। सरकारी दर अंकन-17,000/-रूपये प्रति वर्ग मीटर है उक्त भूमि 1000 वर्ग मीटर से अधिक किन्तु 2500 वर्ग मीटर तक निर्धारित दर में 1000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि के लिये 10 प्रतिशत छूट का प्रावधान है जिस पर स्टाम्प ड्यूटी उक्त शासनादेश के अनुसार अदा की गई है। भूमि पर कोई निर्माण नहीं है, मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से 200 मीटर से अधिक दूर है। उक्त भूमि आवासीय है तथा आवासीय प्रयोजन हेतु दान की जा रही है। मैं प्रथम पक्ष दानकर्ता उक्त खसरा नम्बरान में अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि दान/उपहार स्वरूप दे रहा हूँ।



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6789

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त दान दाता: 1

श्री पुष्पेन्द्र कुमार, पुत्र श्री मांगे राम

निवासी: आर-2/81 राजनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य


दान गृहीता: 1



श्री विजय कुमार, पुत्र श्री मांगे राम

निवासी: आर-2/177 राजनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री शैलेन्द्र शर्मा, पुत्र श्री महेश चंद शर्मा

निवासी: मौहल्ला कोरियान हर्ष नगर बिल्लारी मुरादाबाद यू.पी.

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, पुत्र श्री टी.एन. तिवारी

निवासी: जे-2 महेन्द्रा एन्कलेव शास्त्री नगर गाजियाबाद

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुरेश चन्द्र मौय्य

उप निबंधक : सदर तृतीय  
गाजियाबाद  
16/08/2022

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।  
टिप्पणी:

निबंधक लिपिक गाजियाबाद  
16/08/2022



प्रिंट करें

(4)

हम कि श्री पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र श्री मांगे राम निवासी ग्राम सिकन्दरपुर तहसील व जिला गाजियाबाद हाल निवासी आर-2/81, राजनगर, गाजियाबाद, प्रथम पक्ष दानकर्ता (PAN NO.-AGEPR9312A)।

एवं श्री विजय कुमार पुत्र श्री मांगे राम निवासी आर-2/177, राजनगर, गाजियाबाद, द्वितीय पक्ष दानग्रहिता (PAN.-AAZPK0075G)।

विदित हो कि भूमि सम्बन्धित खाता नम्बर-03261, खसरा नम्बर-332मि., क्षेत्रफल 0.1390 हैक्टेयर में 1/2 भाग यानि 0.0695 हैक्टेयर यानि 695 वर्ग मीटर व खाता नम्बर-02380, खसरा नम्बर-332मि., क्षेत्रफल 0.1520 हैक्टेयर में 1/4 भाग यानि 0.038 हैक्टेयर यानि 380 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर-337, क्षेत्रफल 0.0890, हैक्टेयर में 1/4 भाग यानि 0.02225 हैक्टेयर यानि 222.5 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर-338, क्षेत्रफल 0.0890 हैक्टेयर में 1/4 भाग यानि 0.02225 हैक्टेयर यानि 222.5 वर्ग मीटर इस प्रकार कुल खाता नम्बरान-2, कुल खसरा नम्बरान-4, कुल क्षेत्रफल 0.1520 हैक्टेयर यानि 1520 वर्ग मीटर निम्नसीमा स्थित ग्राम




HARION TIWARI  
A. No. 17. A. Post Office  
Gazipur




(6)

उन्होंने स्वीकृति स्वरूप इस उपहार पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा इस उपहार पत्र को निष्पादित किया है। उपहारकर्ता उपरोक्त भूमि को उपहार करने के पूर्ण रूप से अधिकारी हैं, कोई वैधानिक या अवैधानिक आपत्ति उपहार करने में नहीं है। अतः मुझ प्रथम पक्ष उपहारकर्ता अपनी खुशी व रजामन्दी व शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में बिना किसी दबाव व धमकाव के प्रभावित होते हुए व पूर्णतया सोच समझकर तथा इस उपहार पत्र को पढ़कर अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि को आज की तारीख में बिना कोई धनराशि/प्रतिफल लिये हाथ द्वितीय पक्ष उपहार प्राप्तकर्ता उपरोक्त श्री विजय कुमार को उपहार कर दी है। जिसे द्वितीय पक्ष उपहार प्राप्तकर्ता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है और कब्जा मौके पर उपहार प्राप्तकर्ता का पूर्ण व वास्तविक रूप से करा दिया है अब द्वितीय पक्ष उपहार प्राप्तकर्ता उपरोक्त भूमि का पूर्णतः मालिक बन गया है तथा उसको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि पर निर्माण करें, विक्रय करें, किसी को आबाद करें, दान करें, किसी अन्य को रखे, कहीं बन्धक रखे, किसी को उपहार करें, यानि जिरा प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें कुछ आपत्ति नहीं होगी। उपहार की



11/11/2014



भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA


विजय कुमार

Vijay Kumar

जन्म तिथि/DOB 17/07/1958

लिंग / MALE

8737 0547 1326



मेरी पहचान



भारतीय पहचान प्रमाण  
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:

आर्य समाज, ग. 2/177, राज ग. 2/177, राज ग.

गान्धिका, गान्धिका,

उत्तर प्रदेश - 201002

Address:

50, Munge Hanu Raju

Nagar, Ghazipur, Ghazipur

Uttar Pradesh - 201002



1800 300 1947

help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

WWW

P.O. Box No 1947  
Bengaluru-530 001

Handwritten signature

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA



शैलेन्द्र शर्मा  
Shailendra Sharma  
जन्म तिथि/ DOB: 14/07/1988  
पुरुष / MALE



7658 5546 0058

आधार - आम आदमी का अधिकार

*Shailendra Sharma*

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA



पता: Address:  
आत्मज: महेश चन्द्र शर्मा, S/O: Munesh Chandr Sharma  
मोहल्ला कोरियान (हर्ष), Mohalla korriyan (harsh nagar),  
नगर), बिलार, मुरादाबाद, Bilari, Moradabad,  
उत्तर प्रदेश - 202411 Uttar Pradesh - 202411

7658 5546 0058

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar



भारत निर्वाचन आयोग  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन पत्र  
IDENTITY CARD

FVX4989356



निर्वाचक नाम : राजेन्द्र प्रसाद तिवारी  
Elector's Name : Rajendra Prasad Tiwari  
पिता का नाम : ताड़क नाथ तिवारी  
Father's Name : Tadak Nath Tiwari  
Sex : पुरुष Male  
2006 को आयु : 36  
Age as on 1.1.2006

*Rajendra*

निर्वाचक नाम : राजेन्द्र प्रसाद तिवारी  
Elector's Name : Rajendra Prasad Tiwari  
पिता का नाम : ताड़क नाथ तिवारी  
Father's Name : Tadak Nath Tiwari  
Sex : पुरुष Male  
2006 को आयु : 36  
Age as on 1.1.2006  
पता : राजेन्द्र प्रसाद तिवारी  
Address : Rajendra Prasad Tiwari  
H.No. : 2  
Strt/Mohalla: Janta Colony  
Vill/Town : Ghaziabad  
PoliceStn. : Kavinagar  
Distt. : Ghaziabad  
Pin : 201002

निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के  
हस्ताक्षर की अनुकृति  
निर्वाचन क्षेत्र 372-गाजियाबाद  
Facsimile Signature of  
Electoral Registration Officer  
for 372- Ghaziabad

स्थान : गाजियाबाद दिनांक : 13/01/2007  
Place: Ghaziabad Date

इस कार्ड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

This card can be used as an Identity Card under different Government Programmes. 453/1998

SITE PLAN OF LAND ON KHASRA NO.- 332 MIN., 337, 338  
VILLAGE - PASONDA, PARGANA - LONI  
TEHSIL & DISTT.- GHAZIABAD ( U.P. )

AREA - 1520.00 SQ.MT.



HOUSE - GARIMA GARDEN

LAND - RAM NARESH RAWAT &  
GARIMA GARDEN HOUSE

LAND - RAM NARESH RAWAT

SITE

12 MT. WIDE RASTA

FIRST PARTY SIGN.


SECOND PARTY SIGN.

HARSHIT SINGH  
ARCHITECT  
HOUSE COMPOUND

(7)

जाने वाली भूमि से सम्बन्धित आज तक के समस्त देयों को उपहारकर्ता ने अदा किया है, भविष्य के सभी देयों को उपहार प्राप्तकर्ता अदा करेंगे, उपहार प्राप्तकर्ता उपरोक्त भूमि पर इस उपहार पत्र/दान पत्र के आधार पर समस्त राजपत्रों में अपना का नाम स्वयं दर्ज करा ले तथा जहां कहीं भी मुझ प्रथम पक्ष उपहारकर्ता/दानदाता के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी मैं सहर्ष सम्बन्धित विभाग में उपस्थित रहूंगा। मुझ उपहारकर्ता ने उक्त भूमि के समस्त असल कागजात उपहार प्राप्तकर्ता को सौंप दिये हैं इस उपहार पत्र के साथ उपहार की जाने वाली सम्पत्ति का मानचित्र संलग्न है जिस पर उपहारकर्ता एवं उपहार प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपलब्ध हैं जो इस उपहार पत्र के भाग रहेगें। अब इकरार यह कि उक्त भूमि की मिलकियत व उसके मूल्य धन तथा किसी अंग से मुझ उपहारकर्ता व वारसान उपहारकर्ता का कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा न कभी होगा। दोनों पक्षों की सहमति से उपहार पत्र का समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष ने वहन किया है।

— श्री/कृष्ण च. म.




HARIOM TIWARI



HARIOM TIWARI







Shot on vivo S1  
AI Triple Camera



(8)

अतः यह दान पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।



गवाह :- श्री शैलेन्द्र शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द शर्मा निवासी मौहल्ला कोरियान (हर्ष नगर) बिल्लारी, मुरादाबाद, उ.प्र.।



गवाह :- श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पुत्र श्री टी.एन. तिवारी निवासी जे-2, महेन्द्रा एन्कलेव, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।




**HARIOM TIWARI**

दिनांक :- 10 अगस्त 2022 ई. महेन्द्रा एन्कलेव, शास्त्री नगर, गाजियाबाद।  
(Enrollment No.-UP06613/2019) चैम्बर नंबर-17/ए. तहसील कम्पाउन्ड, गाजियाबाद।

आवेदन सं०: 202200739120136

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 17020 के पृष्ठ 191 से 214 तक क्रमांक  
6789 पर दिनांक 16/08/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर




सुरेश चन्द्र मौर्य

उप निबंधक : सदर तृतीय

गाजियाबाद

16/08/2022





विक्रय पत्र अंकन 1,10,000/- रुपये का :-

स्टाम्प 15950/- रुपये का :-

विक्रय भूमि का विवरण- मुवाजी ग्यारह विस्वा पुखता भूमि स्थित ग्राम पसौन्डा परगना लोनो तहसील व जिला गाजियाबाद

विक्रय भूमि की किसम- सेवटा अक्वल छाकी जिसकी सरकारी निर्धारित दर 200000/- रुपये प्रति बीघा पुखता है।

विक्रय भूमि ग्राम समाज व पट्टे की नहीं है, विक्रेता अनुसूचित जाति व जन जाति से नहीं है।

रिजिस्ट्रार



सिद्धांत

विजय

विजय

1547 आ/१० १०००/-  
 नं० आ/१० में शामिल किया  
 साइडिंग नं० 10  
 210 आ/१० शिवालयपुर

राज कुमार गुप्ता स्टाम्प विक्रेता  
 बहलील कम्प्लेक्स, दारजिलिंग

₹ 1,10,000/-

रजि० शुल्क 25/- प्रति लिपि शुल्क 5/-  
 योग 26/- शब्द लगभग.....


₹ 100,01,1 FINE SP १०००/-

श्री उकवाय  
 अशफाक वनी  
 पत्नी  
 2/4/90 समय 4 व 5 बजे  
 2/4/90

श्री उकवाय  
 1,10,000/- रुपये मुद्रित करवाए जायेंगे

श्री उकवाय वनी लिखा करता हूँ  
 अशफाक वनी लिखा करता हूँ

पेसा देती कि इस नमूने की कपी है



5000Rs.



2,

हम कि इकबाल व लियकत पुत्रगण अशफाक व तोफा पुत्र रकम  
निवासीगण ग्राम पसौन्डा परगना लोनी तहसील व जिला  
गाजियाबाद के हैं विक्रेतागण ।

इस विक्रय पत्र में हम विक्रेतागण के समस्त उत्तराधिकारी एवं  
वैधानिक व न्यायायिक प्रतिनिधिमण्डल सम्मिलित समझे जावेंगे ।

विदित हो कि ग्राम पसौन्डा परगना लोनी तहसील व जिला

गाजियाबाद में खसरा नम्बर-332 मि. रकबई ग्यारह विस्वा  
पुखता लगानी 4.60 पैसे सालाना के हम विक्रेतागण सत्ता

इकबाल विक्रियकत कि तोफा

1548 31/3/90

1547 में शामिल किया  
लाइसेंस नं० 10

210  
31/3/90

राज कुमार गुप्ता स्वयं विक्रेता  
बहलील, कल्याण, माजिपुडा

5000

नियोज  
कुसुमा देवी  
पुनः श्री  
निवासी

5/4/90

रामलाल



श्री लीला



जयाशंकर



Handwritten signature

Handwritten initials

उपरोक्त त... निवासी... नियमानुसार  
लिखे गये... प्रमाणित होते हैं।

उप निबन्धक व तीर्थ  
5/4/90



3,

प्राप्त स्वामी व अधिपति व भूमिधर है, जो आज दिन तक हम विक्रेतागण की ओर से हर प्रकार के बंधक भार सरकारी देनदारो व अन्य लौन आदि से मुक्त है, कही अन्य जगह आड, रहन, बय, टिबै, महायदाबय आदि में ग्रास्त नही है, मिल्कियत हम विक्रेतागण में कोई दोष व त्रुटि नही है, हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है, विक्रय करने का हम विक्रेतागण को पूर्ण अधिकार है, अतः हमने अपनी सुशी व रजामन्दी से उक्त भूमि को मये तमामी हकूक मालकाना दाखली व खारजी हरकिसम मये कब्जा आदि को आज की तारीख में बदलेअंकन 110000/-रु. ठूसक लाख दस हजार रुपये ४ आधे जिसके अंकन 55000/-रुपये होते हैं में हाथ श्री सुधन कुमार व पुष्पेन्द्र कुमार पुत्राण श्री मांगे

इकवाल

श्री सुधन कुमार

श्री पुष्पेन्द्र कुमार

1549 31/3/90 5000/- युद्ध कर्मचारी व माओवादी -  
में शामिल किया जाहसं नं 10

राज कुमार गुप्ता स्टाफ विज्ञान  
वहशील कम्प्यूटर, पाणिपत

5000

FIVE THOUSAND RUPEES

8

कठ फर्नी ग्राह रीड, ई उपस्थिति व कर्मचारी व निमित्त क्यार  
शिकायत वाक कर्तव्य के प्रकार उड ह फरि कि प्रमातर्की मड  
काह काल फरि रीड, ई कालु ई रीड फरि काल व शिकायत  
कर्मचारी, ई कि काल में रीड काल काल, रीड, काल, फरि  
ग्राह ई प्रकार उड, ई कि उरि व रीड रीड में प्रमातर्की मड  
रिपु कि प्रमातर्की मड तक लिक उरि, ई कालु ई ग्राहनी  
काल ई निमित्त व रिपु निमित्त रीड

काल उड शिकायत व शिकायत निमित्त काल काल उरि कि काल  
क-000011 फरि काल में शिकायत कि काल काल रीड काल काल

उरि-000022 फरि कालनी रीड | कि काल काल उरि काल काल  
निमित्त कि काल काल काल काल काल काल काल काल काल काल



Handwritten signatures and text at the bottom of the page.



4,

राम निवासीगण ग्राम सिकन्दर पुर परगना लोनी तहसील व जिला  
गाजियाबाद के बय कतई कर दिया ओर बेव दिया ओर कुल  
धनराशी निम्न प्रकार वसूल पा ली । अब इकरार यह है कि विक्रय  
भूमि की मालिकियत व उसके मूल्यधन तथा किसी अंग से हमीक्रेतागप  
व हमारे वारसान का कोई सम्बंध बाकी नहीं रहा है न कभीहोगा।  
कब्जा मौके पर क्रेतागप का वास्तविक रूप से करा दिया है, जिसके  
वो पूर्णतः स्वामी बन गये हैं, उनको सर्वथा अधिकार है कि जिस  
प्रकार चाहे बहैसयत मालकाना प्रयोग में लावे । राजपत्रों में  
क्रेतागप का नाम दर्ज करा दें, वरना वो स्वयं दर्ज करावे । यदि

Londal

कि लिखकर

के टीका

1538 31/3/90 750/-

स्टाम्प नम्बर 1549 में शामिल किया  
लाइसेंस नं० 10

210  
31/3/90

राज कुमार गुप्ता स्टाम्प विक्रेता  
बहुसूल कम्पाउन्ड, फाजियाबाद

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.





5,

आज दिन तक विक्रय भूमि पर हम विक्रेतागण की ओर से कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेतागण को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा हम विक्रेतागण के अनाधिकार से या हमारे वारसान की दावेदारी आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेतागण के कब्जे मालकाना से निकल जावेगा तो हर ऐसी दशा के उपस्थित होने पर क्रेतागण को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मये सूद कानुनी न्यायालय द्वारा मये दरजे खरचे हम विक्रेतागण व हमारे वारसान की चल अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करले। बाजारी कीमत यही है आस पास भाव 60000/-रुपये प्रतिबीघा

२०५ वा १)

कि लिखाकट

कि लिखा

1551 31/3/90 100/-  
.....  
..... में शामिल किया  
लाइसेंस नं० 10

31/3/90

राज कुमार गुप्ता स्ट्याम्प विक्रेता  
बहरीस कम्पाऊन्ड, अजिवाक

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.






6,

खाम है, विक्रय पत्र का समस्त व्यय क्रेतागण ने सहन किया है ।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे ओर समय पर काम आवे इति।

विवरण वसूल्याबी कुल धनराशी का :- कुल स्वया पेशगी वसूल पा लिया ।



इसका

किंकिमत किंमत

गवाह नं. 1

गवाह नं. 2

विक्रय पत्र का  
पक्षी का लक्ष्य

व्यापकहीन पत्र विक्रय  
निवाकी पक्षी का लक्ष्य

दिनांक 4.4.90 मसौदा राकेशदत्त कौशिक वसीकेनवोस गाजियाबाद।  
टाइप किया

॥ वसुधायाम शर्मा ॥

1552 31/3/90 100/-  
..... में शामिल किया  
साहसंस्त न० 10

31/3/90

राज कुमार गुप्ता स्टेशन विक्रेता  
तहसील कम्पाऊड, गाजियाबाद

उपरोक्त फल में शामिल हुए लाभ को कर प्रकृति में  
उपरोक्त नाम की तहसील को कर प्रकृति में

5/4/90


को फोटी स्टेट प्रॉपर्टी

59/70 पर कर प्रकृति में लिया 55.91

पर रजिस्ट्रार

*[Handwritten Signature]*

राजिस्ट्रार, गाजियाबाद



512 k

19/9/90